बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/प्रा0 आ0 – 101/2017 -- 1906 पटना -- 15 ,दिनांक :- 02/8/17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय -- राज्य योजना के अन्तर्गत प्रकृतिक आपदा (बाढ़) की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था को बनाये रखने हेतु 936 चापाकलों के निर्माण के लिए 168.16 लाख रूपये (एक करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश -- राज्य योजना के अन्तर्गत प्रकृतिक आपदा (बाढ़) की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था को बनाये रखने हेतु 936 चापाकलों के निर्माण के लिए 168.16 लाख रूपये (एक करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

1. इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के दिनों में ऊँचे जगहों पर पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकलों का निर्माण क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप किया जाना है। चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यकतानुसार स्थल का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा एवं मुख्यालय स्तर से दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत चापाकलों के निर्माण के लिए जिलावार विवरणी एवं योजना की कुल लागत राशि का सार निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	40 मी0मी0 X 46 मीटर नलकूप @ रू0 0.302 लाख (पाँच वर्षों के लिए मरम्मति एवं सम्पोषण सहित)		40 मी0मी0 X 14 मीटर नलकूप @ रू0 0.166 लाख (पाँच वर्षों के लिए मरम्मति एवं सम्पोषण सहित)		कुल	
			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खगड़िया	खगड़िया	80	24.160	0	0.000	80	24.160
2	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	0	0.000	162	26.892	162	26.892
3	किशनगंज	किशनगंज	0	0.000	77	12.782	77	12.782
4	अररिया	अररिया	14	4.228	120	19.920	134	24.148
5	कटिहार	कटिहार	0	0.000	157	26.062	157	26.062
6	सहरसा	सहरसा	0	0.000	102	16.932	102	16.932
7	सुपौल	सुपौल	0	0.000	110	18.260	110	18.260
8	मधेपुरा	मधेपुरा	0	0.000	114	18.924	114	18.924
	कुल		94	28.388	842	139.772	936	168.160

इस योजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

17 प्रति

2. **बजट शीर्ष**

इस योजना पर होने वाला व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष – 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत – उपमुख्य शीर्ष – 02–बाढ़, चक्रवात आदि – लघु शीर्ष – 102–पीने के पानी की पूर्ति – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0002–पेयजल की आपूर्ति – विपत्र कोड – 36–2245021020002 – विषय शीर्ष – 0002.35.01 नगद/वस्तु मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।

4. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

6. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या – एम4–53/2007 – 3758 / वि0, दिनांक – 31–05–17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।

7. वर्ष 2017–18 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Sd/- 1.8.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 6ए0/प्रा0 आ0 – 101/2017 – 1906 पटना – 15 ,दिनांक :– 02/8/17

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मूल्यांकण) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा – 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर / पूर्णियाँ / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बेगुसराय / पूर्णियाँ / सहरसा / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, खगड़िया / पूर्णियाँ / किशनगंज / अररिया / कटिहार / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 1.8.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव